


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री कौशल्या देवी व्याख्याता राजनीति विज्ञान , राउमावि बैडकला, जैतारण, पाली का उपाजित एवं अर्द्ध वेतन अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 एवं 93 के अन्तर्गत संस्था प्रधान की अभिशंसा के आधार पर एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है -

क्र. सं.	अवकाश का प्रकार	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	उपाजित अवकाश	03.11.2016 से 02.03.2017	120
2	अर्द्धवेतन अवकाश	3.3.17 से 3.5.17	62

कार्मिक के उपाजित/अर्द्धवेतन अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक:- 28/5/2019

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. संबंधित संस्था प्रधान.....
5. संबंधित कार्मिक.....
6. कम्प्युटर एनेलिस्सिट कम्प्युटर प्रभाग कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर